

10/06/26

पत्रावली भ्रज पेश हुई। वाढीनी वकील अनुपस्थित।  
न्यायालय समय में रुक-रुक तीन बार  
क्रावमें लगाई गई। बाबजूद वाडीगण वकील  
गैर एजिट रहे। अतः पत्रावली गैर  
एजिटी एवं अइम पैरवी में प्राप्ति की जाती  
है। पत्रावली फैसल शुमाट होकर काखिले  
दफ्तर हो एवं नंबर से कम हो।



सहायक कलक्टर  
(SDO) चौहटन